प्रेस विज्ञप्ति

*जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 16.07.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा सांड़ के हमले में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत सुरसा चमनजोत से कालर द्वारा सांड़ से बाईक में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियो (1. लालचन्द्र पुत्र असर्फी 2. असर्फी पुत्र जमदेव 3. रजिन्द्र यादव पुत्र मिठ्ठू ग्राम औरहिया मंझरिया थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर) दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर में घायल व्यक्तियो को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय्रता से सी0एच0सी0 बेलहकला भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 बेलहकला भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आरक्षी विवेक कुमार, आरक्षी अनुज कुमार, हो0चा0 महेन्द्र यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 173 वाहनों से 182000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 173 वाहनों से 182000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखऱ पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0स0 21/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सचिन पुत्र दीनानाथ निवासी मंझरिया थाना मधुवनिया जिला रुपनदेही राष्ट्र नेपाल को बैरिया बाजार थाना नौतनवा जनपद महराजगंज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर वादिनी की पुत्री को अज्ञात अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.07.2025 को अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री श्याम देव प्रसाद, का0 विकास साहनी, म0का0 कमलेश कुमारी।